



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़, 1947 (श०)

संख्या - 318 राँची, मंगलवार,

8 जुलाई, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

12 जून, 2025

आदेश सं०-5/आरोप-1-115/2017 का० 3463--श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 788/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बाघमारा के विरुद्ध उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-3115, दिनांक 27.06.2017 द्वारा अपीलवाद सं०- 2138/14 दुखन महतो बनाम जन सूचना पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, बाघमारा में अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध नहीं कराने तथा सूचना आयोग के निदेशों की अवहेलना संबंधी आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10013, दिनांक 20.09.2017 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री सिंह के पत्रांक-843, दिनांक-11.08.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। अपने स्पष्टीकरण में श्री सिंह द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में रिट याचिका सं०- W.P(C) No.-3982/16 दायर करने की सूचना दी गई तथा उक्त के वाद में दिनांक 06.02.2017 को पारित अंतरिम आदेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी, जिसमें श्री सिंह के विरुद्ध पीड़क कार्रवाई पर रोक लगायी गयी ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2023 को पारित आदेश में उक्त वाद को Dismissed कर दिया गया एवं अंतरिम आदेश दिनांक 06.02.2017 को Vacate कर दिया गया। उक्त पारित आदेश के आलोक में पुनः विभागीय पत्रांक-243, दिनांक 15.01.2025 एवं पत्रांक- 1318, दिनांक 05.03.2025 श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसी क्रम में, ज्ञात हुआ कि श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह का निधन दिनांक 02.03.2025 हो चुका है।

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के पत्र, दिनांक 20 अक्टूबर, 1999 में निम्न प्रावधान है-

“The undersigned is directed to say that this Department has been receiving references seeking clarification whether disciplinary cases initiated against the Government servant under CCS (CCA) Rules, 1965, could be closed in the event of death of the charged officer during pendency of the proceedings. After careful consideration of all the aspects, it has been decided that where a Government servant dies during the pendency of the inquiry i.e. without charges being proved against him, imposition of any of the penalties prescribed under the CCS (CCA) Rules, 1965 would not be justifiable. Therefore, disciplinary proceedings should be closed immediately on the death of the alleged Government servant.”

अतः समीक्षोपरांत उक्त प्रावधान के आलोक में श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-788/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बाघमारा, सम्प्रति-मृत से संबंधित इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

अनिल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव।
